प्रपत्र-2

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

कमांक:-जिशिअ/प्राशिः/सी/मान्यता/आरटीई/2011/1470 दिनांक:- 05.7// अध्यक्ष/प्रबंधक.

प्रविध समिति.

विषय:- नियम 8-क के उप -नियम (4)के अधीन विधालय के लिए मान्यता

प्रमाणपत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 30313 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार /निरीक्षण के संदर्भ में मैं किंद्रण पाटी दूर रेके हान स्थान के लिए कक्षा 1 कि जन्तरिम मान्यता मंजूर करता है। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ती के अध्यधीन होगी:—

- मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा—8 से आगे मान्यता /सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
- 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3. विद्यालय ,कदा—1 में या ,यथास्थिति ,पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र—संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अमाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देना और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
- 4. पैरा –3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5. सोसाइटी ,/ विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता —िपता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रकिया का पात्र नहीं बनायेगा।
- 6. विद्यालय आयु के सबूत के अमाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की घारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चत करेगा कि:—
 - (A) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
 - (B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा,
 - (C) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति दूक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा,
 - (D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक वालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011केनियम 23के अधीन यथा—अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया
 - (E) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोंग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सिमालित किया जाये,
- (F) अध्यापक ,2009 के अधिनियम की घारा 23 की उप—घारा (1)के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित मर्ती किये जायें,परन्तु वर्तमान अध्यापक ,जो 2009 के अधिनियम के प्रारंग पर

न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं,वे 2009 के अधिनियम की घारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार ,5 वर्ष की कालावधि के मीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे,

- (G) अध्याप्तक 2009 के अधिनियम की घारा 24 की उप-घारा (1)के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और
- (H) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापक कियाकलापी में नहीं लेगायेंगे।
- विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्म के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
- विद्यालय ,2009 के अधिनियम की घारा 19 में यथा—विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है:-
 - (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र 61.00 gg mytr (2)कुल निर्मित क्षेत्र 42000 Sq. Fit
 - (3) खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र... 460 o 59.MM (4) कक्षा के कमरों की संख्या... 19......
 - (5) प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं मंडार कर्म १६००
 - (6) लडके और लडिकयों के लिए पृथक-पृथक शौचघर रूप क्रिकें
 - (7) पीने के पानी की सुविधा प्रश्निक्ष (8) मिड-डे मील पकाने के लिए रसोईघर (9)अवरोध विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता एपाई उट्टी
- 9. विद्यालय परिसर के मीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
- ै 10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या भैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
 - 11. विद्यालय,सोसाइटी रिजस्टीकरण अधिनियम,1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21),राजस्थान सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम सं.28) के अधीन रिजस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
 - 12. विद्यालय ,किसी व्यक्ति ,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं चलाया जाता है।
 - 13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीजा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष मेजी जावेगी।
 - 14 आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्या DTR 146 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
 - 15. विद्यालय ,ऐसी रिपोर्ट और सूचना देना जिनकी निदेशक ,प्रारंभि शिक्षा / जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्जों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रृटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ,यदि कोई हो ,सुनिश्चित करें।

17 अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

जिल्ला शिक्षा अध्यक्ष्य

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ,सीकर

Shakhawati International Raj.

(जितेन्द्र रणवां) स्वितं रणवां) स्वितं समिति स्वितं समिति स्वितं समिति स्वितं समिति स्वितं (स्वितं) राज.

Undertaking

(For running Bal Vatika I,II & III)

At present my School Shekhanoati International Headen

is not running Bal Vatika for Pre-Primary. I hereby undertake to start Bal Vatika I,

II & III as per Board's circular no: Circular No. 12/2023 dated: 24.03.2023 w.e.f

the session from which the affiliation is granted .

Manager's Name Jiten dra Panua,

Signature

Stamp

Signature

Stamp